रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1793] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्येष्ठ 30, 1941
No. 1793] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

का. आ.2005(अ).—केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा केन्द्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड', (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड), बंगलुरू, (पैन: एएएएलसी0093एम) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) द्वारा केन्द्र/राज्य/गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) या किसी अन्य सांविधिक निकाय से प्राप्त अनुदान/निधियां;

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) की चल और अचल सम्पत्तियों की बिक्री, निपटान, नीलामी या अधिग्रहण के कारण प्राप्त मुआवजा;

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी(टेक्नॉलाजी) पेटेंट और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए प्राप्त रायल्टी या अन्य कोई आय;

(घ) सरकारी संविधियों के तहत एकत्रित शास्तियां और उद्ग्रहण(लेवी);

(ड.) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 42) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948(1948 का LXI) और केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गई सेवाओं के कारण प्राप्त फीस/प्रभार/प्राप्ति. और

(च) उपरोक्त (क) से (ड.) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड बंगलुरू,-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी. तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 45 /2019/फा. सं.300196/3/2019-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव